न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 159/2018 दायरा दिनांक : 12.09.2018

उनवान

1 मांगीबाई बेवा मकसूदअली

2 शराफतअली पुत्र मकसूदअली

3 असरफ अली पुत्र मकसूदअली

जातियान मुसलमान निवासीगण रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पेरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.12.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 12/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.18 विधि न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आरटी एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम रेलावन की भूमि खसरा नं0 452/885 रकबा 2 बीघा है जो अपीलांटगण/वादीगण के शामलाती खाते की है उक्त भूमि वादीगण अपीलांटगण के पूर्वजो द्वारा पटवार घर निर्माण हेतु इस आश्वासन पर दी गई थी कि इसकी एवज में ग्राम रेलावन मे 5 बीघा भूमि आवंटित कर दी जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे रेस्पो0/प्रतिवादी का जवाब आने के पश्चात प्रकरण मे ना तो कोई तनकीयात कायम की गई ओर न ही उभय पक्षो की कोई साक्ष्य ली गई ना ही प्रकरण मे विधिवत सुनवाई की गई। केवल राजस्व लोक अदालत केम्प रेलावन मे मुकदमो की संख्या बढाने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण का निस्तारण मनमाने तरीके से कर दिया गया है। जो न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने के कारण निरस्ते किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्पो की मूल भावना दूसरे पक्षा की भी सूनो के विपरीत जाकर बिना व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानो क विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प में बिना अपीलांटगण को सुने ओर बिना सहमति के उक्त निर्णय़ पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धातों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जोने योग्य है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.09.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 16–05–2018 का अवलोकन किया गया। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प रेलावन में पारित किया गया है। कैम्प में सुनवाई हेतु नोटिस भी जारी किये गये है तथा नोटिस की प्राप्ति भी सलंग्न है। अतः यह कहना कहना उचित नहीं है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। वादीगण अपीलांट ने आराजी खसरा नं. 452/885 रकबा 2 बीघा पर पटवार घर का निर्माण करना बताया है, जबकि तहसीलदार किशनगंज ने खसरा नं. 452/887 रकबा 2 बीघा अपीलांट वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज

(महेन्द्र सोनी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

होना बताया जिसपर खातेदारों का कब्जा होना बताया तथा पटवार घर खसरा नं. 447 पर बना होना बताया जो आबादी क्षेत्र में है। वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संख्या 2070 से 2073 में खसरा नं. 452/885 रकबा 2 बीघा दर्ज है तथा वादपत्र में भी खसरा नं. 452/885 अंकित है। अतः तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 452/887 रकबा 2 बीघा किस आधार पर बताया गया है वह जांच का विषय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का वास्तविक खसरा नं. रेकार्ड से सही अंकित कर पुनः निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–02–2021 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा